23.1.18 वादी अधिवक्ता उपस्थित। अग्रिम हेतु [illegible] एक अवसर दिया जाता है। नोटिस तामील पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली दि. 15-3-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

15.3.18 वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी को पुनः नोटिस तामील करने हेतु पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली दि. 16.4.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

16.4.18 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 11.5.18 को पेश हो।

11-5-18 — पक्षकारान उपस्थित/अन /वकील/प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान में समझाईश की गई। राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय को वापस लौटाई जावे। दिनांक 11-7-18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

21.5.18
Not fresh
Akenich
21/5/18

वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली वापस वादी को दिया जाता है। वादी को प्रतिवादी को नोटिस तामील हेतु प्रार्थना पत्र देना है तथा प्रार्थना पत्र देने पर पत्रावली पुनः पेश करने के आदेश हो तथा बाद तामील नोटिस मामला दायिक तथा हो निर्धारण दि. 21.5.18 को पेश हो। न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश निम्नानुसार कि 4.8.17 पारीत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़